न्यायालय श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

निगरानी प्र.क्र. RS151-दो/2015 (117)

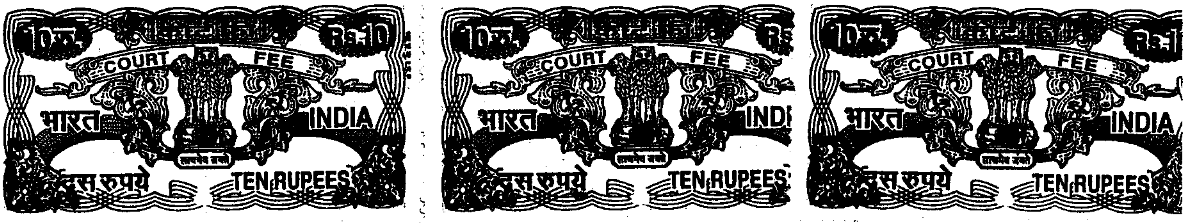

बैजनाथ तनय स्व.चैता तेली निवासी ग्राम दुलहरा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

----------निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवदयाल तनय स्व.चैता तेली निवासी ग्राम दुलहरा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
2. राम दयाल तनय स्व.चैता तेली निवासी ग्राम दुलहरा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

------गैरनिगरानीकर्ता गण

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा एड. द्वारा पेश 6.11.15

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील सिरमौर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्र.31अ27/2008–2009 संलग्न प्रकरण क्र.59अ6/2008–2009 में पारित आदेश दिनॉक 28–09–2015 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 म.प्र.भू–राजस्व संहिता विलंब से प्रस्तुत होना मान्य करते हुए अस्वीकार किया गया है ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं मान्य न्याय सिंद्धातों के विपरीत होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी कर्ता के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 म.प्र. भू–राजस्व संहिता पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया है तथा उक्त आवेदन पत्र को बिलंब से प्रस्तुत होना मान्य करके निरस्त करने में गंभीर भूल की गयी है । जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री विनय शर्मा को अधिकृत करके जीविकोपार्जन हेतु मुम्बई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5151–II/15 जिला–रीवा

बैजनाथ तेली/शिवदयाल तेली

(1)	(2)	(3)
25.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	